वित्तीय समावेशन : गांवों की तरक्की का आधार

–शिशिर सिन्हा

वित्तीय समावेशन का मतलब महज बैंक खाता खोलने और कर्ज बांटने तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें बीमा सुरक्षा से लेकर डिजिटल लेन–देन का इंतजाम और लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने का काम भी शामिल हो चुका है और आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सच तो यही है कि समाज और बाजार की जरुरतों के हिसाब से बदलाव की जरुरत होती है और गांव बतौर एक समाज ही नहीं, बल्कि बड़े बाजार के तौर पर भी विकसित होने लगा है।

पैसे की जरुरत किसे नहीं होती। आप चाहें शहर में रहते हों या फिर गांव में, जिंदगी की जरुरतों को पूरा करने के लिए तो पैसा चाहिए ही। अब आज की ही जरुरतें पूरी नहीं करनी हैं, बीते हुए कल के बकाए और आने वाले कल की बेहतरी के लिए पैसे से पैसा बनाने की जरुरत होती है। कैसे होगा ये सब मालूम है कि आप वित्तीय मामलों की जानकारी रखते हैं, लेकिन महज जानकारी रखना काफी नहीं। जानकारी को अमल में लाने के लिए मजबूत व किफायती वित्तीय व्यवस्था तो चाहिए ही, साथ ही वित्तीय साक्षरता भी। इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही तो वित्तीय समावेशन है।

वित्तीय समावेशन को लेकर रघुराम गोविंद राजन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने–माने अर्थशास्त्री की अगुवाई में वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, 'सभी के लिए मुनासिब कीमत पर विविध प्रकार की वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता वित्तीय समावेशन है। इन सेवाओं में महज बैंकिंग सुविधाएं ही नहीं, बल्कि दूसरी वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा सुरक्षा और शेयरों में निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही भुगतान, बचत और पेंशन से जुड़े उत्पाद भी वित्तीय समावेशन के दायरे में आते हैं। मत भूलिए कि वित्तीय समावेशन तभी सही मायने में पूरा होगा जब शहरों के साथ–साथ गांव और अर्ध–शहरी इलाके भी वित्तीय व्यवस्था में बराबरी का हक रखते हो।

बराबरी इसीलिए, क्योंकि गांव महज खेत–खलिहानों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि शहरों की ही तरह पूरा का पूरा बाजार बन चुका है। देश के साढ़े छह लाख के करीब गांवों में 85 करोड़ आबादी के करीब 70 फीसदी लोग रहते हैं। बाजार के शब्दों में कहें तो इतनी बड़ी तादाद में उपभोक्ता मौजूद है। ये वो लोग हैं, बकौल मैकेंजी, जिनकी वास्तविक आमदनी में 2025 तक सालाना 3.6 फीसदी तक बढ़ोतरी का अनुमान है। बाजार रिसर्च एजेंसी

तालिका–1 : जन–धन योजना

(8 अगस्त, 2018 तक के आंकड़े)

राज्य	ग्रामीण–अर्ध–शहरी बैंक शाखाओं में खातेदार	कुल खातेदार
अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह	37,895	54,171
आंध्र प्रदेश	45,04,570	90,74,266
अरुणाचल प्रदेश	1,53,345	2,54,049
असम	1,00,02,305	1,31,19,296
बिहार	2,23,82,043	3,55,23,242
चंडीगढ़	39,258	2,50,323
छत्तीसगढ़	85,65,360	1,32,90,342
दादर नगर हवेली	84,451	1,00,510
दमन दीव	20,785	45,403
दिल्ली	4,86,736	41,25,552
गोवा	1,05,147	1,51,666
गुजरात	64,83,556	1,23,26,849
हरियाणा	34,23,163	66,10,291
हिमाचल प्रदेश	8,79,080	10,17,481
जम्मू–कश्मीर	17,00,136	20,07,206
झारखंड	83,09,583	1,15,37,232
कर्नाटक	66,94,040	1,18,20,126
केरल	16,04,979	35,80,730
लक्षद्वीप	4,512	5,302
मध्य प्रदेश	1,36,90,348	2,83,26,125
महाराष्ट्र	1,09,16,691	2,25,17,826
मणिपुर	3,75,200	8,21,117
मेघालय	3,66,270	4,37,019
मिजोरम	1,06,887	2,83,882
नगालैंड	1,02,894	2,21,129
ओडिशा	92,64,288	1,27,65,579
पुडुचेरी	61,903	1,49,395
पंजाब	34,57,164	61,61,058
राजस्थान	1,49,69,480	2,49,90,790
सिक्कम	68,489	91,530
तमिलनाडु	41,79,825	90,77,423
तेलंगाना	46,22,133	90,28,491
त्रिपुरा	6,04,207	8,42,767
उत्तर प्रदेश	2,97,30,321	4,94,59,177
उत्तराखंड	14,13,034	22,57,046
पश्चिम बंगाल	2,13,02,029	3,09,86,910
कुल	**19,07,12,107**	**32,33,11,301**

स्रोत : वित्त मंत्रालय

नेलसन कहती है कि साबुन, तेल जैसे रोजमर्रा के सामान यानी एफएमसीजी के मामले में गांवों का बाजार 2025 तक 100 अरब डॉलर 6.8–6.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इन कंपनियों की 30 से 45 फीसदी आमदनी ग्रामीण इलाकों से आती है। एक और बात। इस बाजार की जरुरत केवल एफएमसीजी तक ही सीमित नहीं, बल्कि दुपहिया के साथ–साथ चार पहिया गाड़ियां भी चाहिए। कार कंपनियां कहती हैं कि उनकी कुल बिक्री में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी 30 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

यहां ये भी जिक्र करना जरुरी होगा कि गांव में रोजगार अब महज किसानी पर ही नहीं, बल्कि कई तरह के ग्रामीण उद्योग और यहां तक कि ग्रामीण पर्यटन के जरिए भी उपलब्ध होने लगा है। ऐसे में लाजिमी है कि गांवों में वित्तीय समावेशन का दायरा बैंक खाता खुलवाने और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से आगे बढ़कर ग्रामीण उद्यमिता के लिए मदद तक फैल चुका है। मत भूलिए कि बिजली और सूचना प्रौद्योगिकी के गांव–गांव तक पहुंचने की वजह से वित्तीय सेवा के लिए पक्की इमारत बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब तो बैटरीचालित छोटी–सी मशीन कहीं पर भी वित्तीय जरुरतों को पूरा करने में कारगर साबित हो रही है और उससे लागत में भी कमी आ जाती है। इन सारे तथ्यों पर आधारित वित्तीय समावेशन के लिए वर्तमान सरकार की मौजूदा योजनाओं की चर्चा करने के पहले जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मामले में क्या किया।

2014 के पहले ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन

सहकारिता ने जहां ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को हवा दी तो 1969 में बैंकों के निजीकरण से इसे बल मिला। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सभी प्रयास इतने प्रभावशाली नहीं थे जिससे पूरी ग्रामीण अर्थवयवस्था पर व्यापक असर पड़ता। बहरहाल इस मामले में नए सिरे से पहल 2005–16 में देखने को मिली जब रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से वित्तीय समावेशन के मामले में खास कदम उठाने को कहा। सुझाव दिया गया कि बेहद सामान्य सुविधाओं के साथ बैंक खाते बोलचाल की भाषा में जिसे लो फ्रिल अकाउंट कहते हैं, खोलने की सुविधा दी जाए।

2011 में **स्वाभिमान** की शुरुआत की गई। योजना के तहत मार्च 2012 के अंत तक दो हजार से ज्यादा की आबादी वाले हर गांव तक बैंकिंग सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया। उम्मीद थी योजना के दायरे में 73 हजार से ज्यादा ऐसे गांव लाए जाएंगे जहां तक अभी बैंक नहीं पहुंचे हैं। बैंकों ने ऐसी 74 हजार जगहों की पहचान की और कुल मिलाकर 31 मार्च, 2012 तक 2000 या उससे ज्यादा की आबादी वाले कुल 74,351 गांवों में या तो शाखाओं, बिजनेस कॉरेस्पांडेंट या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सेवा मुहैया कराना शुरु कर दिया। जानकारों की मानें तो आंकड़े तो प्रभावी तस्वीर पेश कर रहे थे, लेकिन जरुरत इस बात

की थी कि वित्तीय समावेशन के लिए समष्टि के साथ–साथ व्यष्टि पर ध्यान दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो वित्तीय समावेशन की योजना में एक तय संख्या से ज्यादा आबादी वाले गांवों के साथ तमाम गांवों में रहने वाले परिवारों पर जोर दिया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक 24.67 करोड़ परिवारों में 41.3 फीसदी यानी 10.19 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनसे पास किसी तरह की बैंकिंग सुविधा नहीं थी।

इस दौर में वित्तीय समावेशन की चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड के बगैर अधूरी रहेगी। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना वर्ष 1998 में किसानों को केसीसी जारी करने के लिए शुरू की गई थी ताकि किसान उनका प्रयोग करते हुए कृषि से संबंधित सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आदि आसानी से खरीद सकें और उत्पादन की अपनी आवश्यकताओं हेतु नकदी निकाल सकें। तब से केसीसी योजना का सरलीकरण किया गया है और यह रूपे डेबिटकार्ड युक्त एटीएम जारी करने के साथ–साथ एकबारगी दस्तावेजीकरण, सीमा में बिल्ट–इन लागत वृद्धि, सीमा के भीतर किसी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधा प्रदान करता है। 31 मार्च, 2018 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर से जारी 2,35,28,133 किसान क्रेडिट कार्ड चालू हालत मे हैं, वहीं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में ये संख्या 4,56,88,100 है।

2014 के बाद ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन के लिए पहल

वर्तमान सरकार का वित्तीय समावेशन में जहां जोर परिवार–स्तर पर पहुंचने पर रहा वहीं साथ में कोशिश थी कि वित्तीय सेवा की लागत कम से कम हो। तकनीक के जरिए पहुंच आसान बनाने की रणनीति तो बनी ही, सोच ये भी बनी कि वित्तीय समावेशन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली रकम को लाभार्थी तक पहुंचाने का आधार बनाया जाए। इस मकसद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरु की गई वित्तीय समावेशन की योजनाओं पर आइए नजर डालते हैं–

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

लालकिले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा 'प्रधानमत्री जन–धन योजना' के माध्यम से इस देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधाओं से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों–करोड़ों परिवार हैं, जिनके पास मोबाइल फोन तो हैं, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश के आर्थिक संसाधन गरीब के काम आएं, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है, जो खिड़की खोलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत जो अकाउंट खुलेगा, उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। उस डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को एक लाख रुपये का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि अगर उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवार–जनों को एक लाख रुपये का बीमा मिल सकता है। मतलब साफ था कि महज बैंक खाता ही नहीं खोला जाना है, बल्कि खाते के जरिए कल्याणकारी योजनाओं का सीधे–सीधे फायदा पहुंचाना है, नकद के चलन को कम करना व खरीदारी में सहूलियत देना है और अंत में बीमा सुरक्षा भी मुहैया कराना है।

वैसे तो ये योजना शहरी और ग्रामीण इलाके दोनों के लिए थी, लेकिन ज्यादा जोर ग्रामीण इलाकों पर रखा गया, क्योंकि इन इलाकों में वित्तीय समावेशन की परेशानी ज्यादा थी। इसी को ध्यान मे रखते हुए छह से ज्यादा गांवों को 1.59 लाख 'सब सर्विस एरिया' में बांटा गया। ऐसे हर खंड में हजार से 1500 परिवार थे। 1.26 लाख खंड में बैंक की शाखा नहीं थी, लिहाजा वहां बैंक मित्र के जरिए बैंकिंग सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया। योजना के तहत हर ऐसे परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य है जिनके पास पहले कोई बैंक खाता नहीं था। ये वो खाते हैं जिनमें कम से कम एक निश्चित रकम रखने जैसी कोई शर्त नहीं है। हर खाते के साथ एक रुपे कार्ड मिलता है जिसका इस्तेमाल दूसरे डेबिट कार्ड की तरह किया जा सकता है। कार्ड पर एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी मुफ्त मिलता है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कार्ड का कम से कम एक बार इस्तेमाल जरुरी है।

तालिका–2

अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016–17 की खास बातें

29 राज्यों के 245 जिलों में 40,327 परिवारों/1.87 लाख आबादी पर जनवरी–जून, 2017 के बीच कराए एक सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की रिपोर्ट

- औसत मासिक आमदनी–8059 रुपये
- उपभोग पर औसत मासिक खर्च–6646 रुपये
- भोजन सामग्री पर खर्च कुल उपभोग खर्च का 51 फीसदी
- गैर–भोजन सामग्री पर खर्च कुल उपभोग खर्च का 49 फीसदी
- कम से कम एक बैंक खाता–88.1 फीसदी परिवार
- प्रति परिवार औसत सालाना बचत–18,007 रुपये
- बैंक, स्वयंसहायता समूह वगैरह में जमा कुल बचत का–94 फीसदी
- कितने परिवारों पर बकाया कर्ज–47.4 फीसदी
- औसत बकाया कर्ज–91,407 रुपये
- बीते साल के दौरान कितने कृषक परिवारों ने लिया कर्ज–43.5 फीसदी
- कितने कृषक परिवारों ने केवल संस्थागत स्रोतों से लिया कर्ज–60.4 फीसदी
- कितने कृषक परिवारों ने अनौपचारिक स्रोतों से लिया कर्ज–30.3 फीसदी
- कितने कृषक परिवार के पास कम से कम एक बीमा सुरक्षा–26 फीसदी
- कितने गैर–कृषक परिवार के पास कम से कम एक बीमा सुरक्षा–25 फीसदी
- वित्तीय जानकारी के लिहाज से मजबूत ग्रामीण–48 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार एटीएम का इस्तेमाल–23.6 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार चेक से भुगतान–7.5 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से भुगतान–7.4 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल–1.6 फीसदी

जन–धन खाते के तहत ओवरड्राफ्ट यानी कर्ज की सुविधा भी दी गई है। अगर छह महीने तक खाते मे प्रदर्शन ठीक–ठाक रहा तो पांच हजार रुपये कर्ज भी मिल सकते हैं। इस कर्ज पर ब्याज–दर अनौपचारिक क्षेत्रों से लिए गए कर्ज के मुकाबले काफी कम है। एक बात और, ग्राहक पहचान केवाईसी से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं हैं तो भी कोई परेशानी नहीं, शुरुआती तौर पर स्वप्रमाणन के जरिए छोटा खाता खोला जा सकता है जो एक तय समय के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करा कर नियमित खाते में तब्दील किया जा सकता है। छोटे खाते में रकम जमा कराने से लेकर निकालने तक कुछ पाबंदिया होती हैं।

जन–धन खाते की कामयाबी का ही ये सबूत है कि अब तक 32 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 81 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है। खास बात ये है कि कुल खातों में करीब 59 फीसदी ग्रामीण या अर्धशहरी इलाके में खोले गए। समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा से लेकर मनरेगा तक का पैसा इन खातों में सीधे–सीधे जाता है। इसके दो फायदे हुए हैं, एक तरफ जहां बिचौलिये गायब हो गए और पूरा का पूरा पैसा लाभार्थी को मिल रहा है, वहीं लगातार पैसे का प्रवाह होने से खाते की सक्रियता बनी रहती है। यही नहीं नियमित बचत करने की आदत भी बन रही है।

जन–धन से जन सुरक्षा

देश में वैसे ही बीमा का दायरा बहुत ही सीमित है और उस पर से अगर गांव की बात करें तो वहां तो ये और भी कम है। इसकी एक वजह जहां बीमा सुरक्षा को लेकर साक्षरता की कमी है, वहीं दूसरी वजह प्रीमियम की दर भी है। यही नहीं बीमा पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया को लेकर भी परेशानी होती रही। ऐसी तमाम परेशानियों को दूर कर वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के मकसद से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना लागू होने के करीब नौ महीने के भीतर बीमा की दो नई योजनाओं की शुरुआत की। इसी के साथ एक पेंशन योजना का भी आगाज हुआ। इन तीनों ही योजनाओं में जन–धन खातों को आधार बनाया गया जिसके जरिए प्रीमियम या भागीदारी की रकम का भुगतान करना आसान था। साथ ही बैंक की शाखाओं के जरिए ही तीनों ही योजनाओं में शामिल होने के भी इंतजाम किए गए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – इस जीवन बीमा पॉलिसी के लिए सालाना प्रीमियम महज 333 रुपये है, यानी एक रुपये प्रतिदिन से भी कम। 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है जबकि बीमा सुरक्षा का फायदा 55 वर्ष तक की उम्र तक मिलेगा। किसी भी वजह से मृत्यु हो जाने की सूरत में दो लाख रुपये मिलेंगे। योजना में भाग लेने वाले के लिए बैंक खाता होना जरुरी है और खाते से ही सीधे प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। एक बार 330 रुपये चुकाने पर साल भर के लिए बीमा सुरक्षा मिलेगी, फिर अगले साल अच्छी सेहत का खुद ही प्रमाणपत्र और प्रीमियम चुकाकर पॉलिसी का नवीकरण किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – यहां सालाना प्रीमियम

महज 12 रुपये है, यानी हर महीने का एक रुपया। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख रुपये मिलेंगे। वहीं अगर स्थायी तौर पर आंशिक अपंगता की स्थिति हो तो एक लाख रुपये मिलेंगे। 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी इस योजना में शामिल हो सकता है। यहां भी पॉलिसी लेने के लिए बीमा कंपनियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बस बैंक को लिखित में बताना है और वहीं से प्रीमियम जमा हो जाएगा। यानी बहुत ही मामूली लागत पर बिना किसी झंझट के बीमा सुरक्षा का फायदा मिलेगा।

अटल पेंशन योजना – बीमा योजनाओं की तरह ही यहां भी भागीदारी की रकम कम रखी गई है। बस फर्क इतना है कि 60 साल की उम्र के बाद आप जितनी पेंशन चाहते हैं, भागीदारी की रकम उसी हिसाब से जमा करानी होगी। 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच भागीदारी की रकम जमा कराई जा सकती है। पेंशन की कम से कम रकम 1000–5000 रुपये की गारंटी है। अगर किसी कारणवश योजना में भाग लेने वाले की मृत्यु 40 वर्ष के पहले हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को बाकी बचे समय के लिए पैसा जमा कराने की सुविधा मिलेगी। मृतक की पत्नी या पति को 60 साल की उम्र के बाद उतनी ही पेंशन रकम मिलेगी जितना शुरु में कहा गया था और ये रकम ताउम्र मिलेगी। पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की सूरत में कुल जमा रकम का फायदा नामित को मिलेगा। 1 जून, 2015 से लेकर 28 जुलाई, 2018 के बीच अटल पेंशन योजना में 1.8 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि इसमें से कितने ग्रामीण इलाकों में हैं, फिर भी योजना से जुड़े अधिकारियों की मानें तो ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी संतोषजनक है।

ग्राम स्वराज अभियान के जरिए जन–धन से जन सुरक्षा

वैसे तो जन–धन योजना और बीमा योजनाओं में खासी कामयाबी मिली और ग्रामीण इलाके में काफी लोग योजना में शामिल भी हुए। फिर भी सरकार का मानना था कि इन योजनाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में विशेष कदम उठाने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वराज अभियान के दोनों चरणों में प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए विशेष कैंप लगाने का फैसला किया गया। दोनों चरण 14 अप्रैल से 5 मई, 2018 और फिर 1 जून से 15 अगस्त, 2018 के लिए 65779 गांवों की पहचान की गई और वहां 49 हजार से ज्यादा कैंप लगाए गए। नतीजे उम्मीद से बेहतर ही रहे। प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत 73.47 लाख खाते खुले वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 85 लाख पॉलिसी लोगों ने हासिल की।

वित्तीय समावेशन के जरिए उद्यमिता को प्रोत्साहन

गांव–देहात में उद्यमिता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अहम हिस्सेदारी है। योजना के तहत 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है। साथ ही प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत पांच हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट को भी इस योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत गांवों में छोटी दुकान और छोटे उद्योग को लगाने या फिर मौजूदा दुकानों या उद्योग के विस्तार के लिए कर्ज मिलता है। योजना के तहत नवप्रवर्तन के जरिए ब्याज दर को कम रखने की कोशिश की जाती है।

गांवों में उद्यमिता के विकास के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो गांव में किसानी का विकल्प तैयार होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं के स्वरोजगार के साथ–साथ दूसरों को रोजगार देने के मौके बनेंगे। गांव में आमदनी बढ़ेगी तो बाजार विकसित होगा और जब बाजार बढ़ेगा तो वित्तीय सेवाओं के विस्तार का मौका बनेगा जिसका फायदा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मिलेगा।

मतलब साफ है कि वित्तीय समावेशन का मतलब महज बैंक खाता खोलने और कर्ज बांटने तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें बीमा सुरक्षा से लेकर डिजिटल लेन–देन का इंतजाम और लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने का काम भी शामिल हो चुका है और आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सच तो यही है कि समाज और बाजार की जरुरतों के हिसाब से बदलाव की जरुरत होती है और गांव बतौर एक समाज ही नहीं, बल्कि बड़े बाजार के तौर पर भी विकसित होने लगा है।

(लेखक 22 वर्षों से आर्थिक और कारोबारी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में संपादक (कारोबारी मामले) हैं।)

ई–मेल : hblshishir@gmail.com